

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

Mr. Tech. Services.

संख्या ईडीएन (टीए) ए (3) 2/2001-लूज

तारीख, शिमला-02 ०७-०६- 2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी), वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ !

१९/६

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

एस० के० दास
अतिरिक्त मुख्य सचिव(त० शि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या ईडीएन (टीई) ए (3) 2/2001-लूज

०७-०६- 2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
- 2 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि० प्र० सुन्दरनगर जिला मण्डि।
- 3 सचिव, हि० प्र० लोक सेवा आयोग को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 4 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि०प्र० शिमला 05 को असाधारण राजपत्र मे प्रकाशन हेतु।
- 5 संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव विधि हि०प्र० सरकार, शिमला-02
- 6 वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड -11 विधि विभाग, हि०प्र० सचिवालय।
- 7 गार्ड नस्ति।

विशेष सचिव (त०शि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी), वर्ग - 1(राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम	प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी)
2	पदों की संख्या	27 (सताईस) ।
3	वर्गीकरण	वर्ग - 1 (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)
4	वेतनमान	i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान: पे बैण्ड ₹ 15600-39100/- जमा 5400/- ग्रेड पे । ii) संविदां पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ : स्तम्भ 15-क में दिए व्यौरे के अनुसार ₹ 21000/- प्रतिमास
5	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	45 वर्ष या इससे कम।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गये।

1 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को, अधिसूचित किया गया है।

2 अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अर्हता (ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 'कम्प्यूटर इंजीनियरिंग' या कम्प्यूटर साईंस और इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि ।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु : लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं : जैसा नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10	भर्ती की पद्धति : सीधी होंगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। (ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा ।	कम्प्यूटर सहायकों और कन्सोल आपरेटरों में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के एक वैकल्पिक विषय सहित इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि सहित आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को समिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो : परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कम्प्यूटर सहायकों और कन्सोल आपरेटरों की बावत उनके अपने संवर्ग (काडर) में नियुक्तियों की तारीख से, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़ दिया जाएगा, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार भी जाएगी : परन्तु यह और कि प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे, सतवां, आठवां और नौवां	सीधी भर्ती द्वारा
दसवां	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पणी: रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) के प्रवर्ग में दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। तत्पश्चात् रिवित उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त हुआ है :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काड़र) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगे:

- 1 जिला लाहौल स्पिति ।
- 2 चम्बा जिला का पार्गी और भरमौर उप मण्डल ।
- 3 रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशाणाट ।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भगाल क्षेत्र ।
- 7 जिला किन्नौर ।
- 8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टैला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड्ड और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

1 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भवक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काड़र में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति विद्युत जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्थायीकरण :— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सेज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भवक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के, लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर /पाठ्यक्रम इत्यादि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क	(संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन)	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:- (I) संकल्पना (क) इस पॉलीसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी)

को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकृत/विस्तारित किया जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मे आना :

अतिरि ० मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ:-

संविदा के आधार पर नियुक्त प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को ₹ 21000/- रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी:-

(अतिरि ० मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन हो तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें :

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 21000/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 630/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) की बढ़ौतरी का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

		<p>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।</p> <p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।</p> <p>(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला-प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।</p>
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संसंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथासंसोधित यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों में या इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य _____ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी _____, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य _____ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख _____ को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) के रूप में _____ से प्रारम्भ होने और _____ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् _____ दिन को स्वयंभेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में नवीकरण/विस्तारण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की समेकित संविदात्मक रकम.....प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आक्रियक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि कि लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपरिधि से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्त) हो जाएगा। प्रथम पक्षकार कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपरिधि की अवधि के लिए संविदात्मक वेतन का हकदार नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रेमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, पर जैसी नियमित प्रतिरक्षानी प्राध्यापक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग (बहुतकनीकी) को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ₹३००००एफ०/जी०४०००एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में:

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

